रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122021-231665 CG-DL-E-07122021-231665

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4664] No. 4664] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2021/अग्रहायण 16, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2021/AGRAHAYANA 16, 1943

मत्स्यपालन, पश्पालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2021

का. आ. 5037(अ).—(i) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करती है:-

- अध्यक्ष

- (1) न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह चौहान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाउस नंबर 15, बल्लभ कुंज, फेज नंबर 3, मथुरा-281001
- (2) धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत नियुक्त सदस्य: निदेशक, - सदस्य

केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सि आई बि ए), चेन्नई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

7085 GI/2021 (1)

(3)	धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के तहत नियुक्त सदस्य:	
	डॉ. आर. सेंधिल कुमार,	- सदस्य
	वैज्ञानिक-डी,	
	समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि।	
	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार	
(4)	धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के तहत नियुक्त सदस्य:	
	निदेशक,	- सदस्य
	राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई।	
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,	
	भारत सरकार	
(5)	धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के तहत नियुक्त सदस्य:	
	संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी),	- सदस्य
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय,	
	भारत सरकार के प्रतिनिधि	
(6)	धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के तहत नियुक्त सदस्य:	
	अध्यक्ष,	- सदस्य
	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण,	
	कोच्चि।	
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,	
. (भारत सरकार के प्रतिनिधि	
धारा 4 वे	ने उप-धारा (3) के खंड (छ) के तहत नियुक्त तटीय राज्यों के प्रतिनिधि:	
(7)	सचिव (मात्स्यिकी), आंध्र प्रदेश सरकार	- सदस्य
(8)	सचिव (मात्स्यिकी), ओडिशा सरकार	- सदस्य
(9)	सचिव (मात्स्यिकी), कर्नाटक सरकार	- सदस्य
(10)	सचिव (मात्स्यिकी), केरल सरकार	- सदस्य
(11)	धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) में संदर्भित है:	- सदस्य सचिव
	डॉ. वी. कृपा,	
	तटीय जलकृषि प्राधिकरण,	
	5वीं मंजिल, पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग के लिए	
	एकीकृत कार्यालय परिसर,	
	फनेपेट, नंदनम, चेन्नई - 600035	

- (ii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह चौहान का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (iii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(iv) तटीय जलकृषि प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में डॉ. वी. कृपा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की एक समान अवधि या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा।

[फा. सं. 33036/4/2018-मा. (टी-2)(ई-9908)]

डॉ॰ जे॰ बालाजी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2021

S.O. 5037(E).—(i) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby appoints the following persons to be the Chairperson and Members of the Coastal Aquaculture Authority for the purpose of the said Act.

(1)	Justice Shri Amar Singh Chauhan Retired Judge of High Court of Allahabad, House No.15, Ballabh Kunj, Phase No.3, Mathura-281001	-Chairperson
(2)	Member appointed under clause (b) of sub-section (3) of Section 4: Director, Central Institute of BrackishwaterAquaculture(CIBA) Chennai. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India	-Member
(3)	Member appointed under clause (c) of sub-section (3) of Section 4: Dr. R. Sendhil Kumar, Scientist-D, Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi. Ministry of Earth Sciences, Government of India	- Member
(4)	Member appointed under clause (d) of sub-section (3) of Section 4: Director, National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India	-Member
(5)	Member appointed under clause (e) of sub-section (3) of Section 4: Joint Secretary (Marine Fisheries), Representative of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India	-Member
(6)	Member appointed under clause (f) of sub-section (3) of Section 4: Chairman, Marine Products Export Development Authority, Kochi. Representative of Ministry of Commerce and Industries, Government of India	-Member
Represe	ntatives of Coastal States appointed under clause (g) of sub-section (3) of Se	ction 4:

Representatives of Coastal States appointed under clause (g) of sub-section (3) of Section 4:

(7)	Secretary (Fisheries), Government of Andhra Pradesh	- Member
(8)	Secretary (Fisheries), Government of Odisha	- Member
(9)	Secretary (Fisheries), Government of Karnataka	- Member
(10)	Secretary (Fisheries), Government of Kerala	- Member

Member referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 4:
 Dr. V. Kripa,
 Coastal Aquaculture Authority,
 5th Floor, Integrated Office Complex for
 Animal Husbandry and Fisheries Department,

Fanepet, Nandanam, Chennai – 600035

-Member Secretary

- (ii) The term of Justice Shri Amar Singh Chauhan as Chairperson of the Coastal Aquaculture Authority shall be for a period of three years from the date of assumption of charge of the post.
- (iii)The term of other members of the Coastal Aquaculture Authority shall be for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- (iv)The term of Dr. V. Kripa as Member Secretary of the Coastal Aquaculture Authority shall be for a uniform period of three years from the date of assumption of charge of thepost or till the age of 62 years, whichever is earlier.

[F.No.33036/04/2018-Fy (T-2)(E-9908)]

Dr. J. BALAJI, Jt. Secy.